



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-12112025-267597
CG-WB-E-12112025-267597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4967]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4967]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 28 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5122(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, [(रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित)] (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "हावड़ा मंडल में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रूट, हावड़ा— बर्द्धमान कॉर्ड लाइन के डानकुनि—खाना अनुभाग में ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करके 40 रेलवे फाटकों का उन्मूलन" के निष्पादन, रख-रखव और प्रचालन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्तप्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), हुगली, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसकानिरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिला में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात् “हावड़ा मंडल में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रूट, हावड़ा- बर्द्धमान कॉर्ड लाइन के डानकुनि-खाना अनुभाग में ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करके 40 रेलवे फाटकों का उन्मूलन” के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम— हुगली

क्र. सं.	रेलवे फाटक	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
					एकड़	हेक्टेयर	
1	सं. 34/C/E IRकिमी 38/1-3 पर मधुसूदनपुर से चंदनपुर स्टेशन के बीच।	हरिपाल	ढँक-109 (एल. आर.)	1044	0.125	0.0506	आंशिक
				879	0.080	0.0324	आंशिक
				880	0.215	0.0870	आंशिक
				884	0.095	0.0384	आंशिक
				885	0.085	0.0344	आंशिक
				883	0.145	0.0587	आंशिक
				882	0.005	0.0020	आंशिक
				886 / 1191	0.095	0.0384	आंशिक
				887	0.025	0.0101	आंशिक
				888	0.110	0.0445	आंशिक
				889	0.005	0.0020	आंशिक
				890	0.165	0.0668	आंशिक
				866	0.200	0.0809	आंशिक
				878	0.005	0.0020	आंशिक
				877	0.245	0.0992	आंशिक
				874	0.010	0.0040	आंशिक
				875	0.130	0.0526	आंशिक
				876	0.005	0.0020	आंशिक
				1052	0.045	0.0182	आंशिक
				1206	0.035	0.0142	आंशिक
				1207	0.030	0.0121	आंशिक
				1090	0.090	0.0364	आंशिक
				1088	0.295	0.1194	आंशिक
				1087	0.025	0.0101	आंशिक
				1089	0.085	0.0344	आंशिक
				1080	0.310	0.1255	आंशिक
				1078	0.310	0.1255	आंशिक
				1077	0.035	0.0142	आंशिक
				1079	0.085	0.0344	आंशिक
				1076	0.030	0.0121	आंशिक
				1074	0.320	0.1295	आंशिक
				1201	0.045	0.0182	आंशिक

क्र. सं.	रेलवे फाटक	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण				
					एकड़	हेक्टेयर					
				1200	0.050	0.0202	आंशिक				
2	सं. 31/C/T IR किमी 35/17-19 पर कामारकुन्दु से मधुसूदनपुर स्टेशन के बीच।	सिंगुर	खागड़ागाछी -04 (एल. आर.)	9	0.060	0.0243	आंशिक				
				10	0.005	0.0020	आंशिक				
				11	0.020	0.0081	आंशिक				
				12	0.045	0.0182	आंशिक				
				13	0.070	0.0283	पूर्ण				
				14	0.090	0.0364	आंशिक				
				15	0.055	0.0223	आंशिक				
				64	0.025	0.0101	आंशिक				
				63	0.115	0.0465	आंशिक				
				62	0.205	0.0830	आंशिक				
				105	0.150	0.0607	आंशिक				
				106	0.005	0.0020	आंशिक				
				104	0.045	0.0182	आंशिक				
				103	0.025	0.0101	आंशिक				
				102	0.060	0.0243	आंशिक				
				101	0.055	0.0223	आंशिक				
				100	0.015	0.0061	आंशिक				
				101 / 1066	0.055	0.0223	आंशिक				
				101 / 1067	0.045	0.0182	आंशिक				
				99	0.205	0.0830	आंशिक				
				87	0.005	0.0020	आंशिक				
				89	0.025	0.0101	आंशिक				
				98	0.045	0.0182	आंशिक				
				93	0.085	0.0344	आंशिक				
				98 / 1065	0.030	0.0121	आंशिक				
				94	0.085	0.0344	आंशिक				
				72	0.040	0.0162	आंशिक				
				81	0.040	0.0162	आंशिक				
				3			मधुसूदनपुर -03 (एल. आर.)	1542	0.200	0.0809	आंशिक
								1543	0.040	0.0162	आंशिक
								1544	0.055	0.0223	आंशिक
								1545	0.055	0.0223	आंशिक
1546	0.080	0.0324	आंशिक								
1547	0.010	0.0040	आंशिक								
4		हरिपाल	किंकरबाटी -116 (एल. आर.)	11 / 869	0.015	0.0061	आंशिक				
				66	0.275	0.1113	आंशिक				
				67	0.180	0.0728	आंशिक				
				68	0.015	0.0061	आंशिक				
				69	0.165	0.0668	आंशिक				
				70	0.135	0.0546	आंशिक				
				87	0.095	0.0384	आंशिक				
				79 / 821	0.030	0.0121	आंशिक				

क्र. सं.	रेलवे फाटक	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
					एकड़	हेक्टेयर	
				80	0.365	0.1477	आंशिक
				81	0.140	0.0567	आंशिक
				85	0.025	0.0101	आंशिक
				82	0.035	0.0142	आंशिक
				165	0.045	0.0182	आंशिक

[फा. सं. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS**(Eastern Railway)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 28th October, 2025

S.O. 5122(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the the Railways Act, 1989, (as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose execution, maintenance and operation of the Special Railway Project namely, “Howrah Division - 40 Nos Elimination of Level Crossing of DFC route by ROB/RUBs on Indian Railway - DKAE-KAN HBC Chord line” in the Hooghly District in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Hooghly, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the proposed Special Railway Project namely, "Howrah Division - 40 Nos Elimination of Level Crossing of DFC route by ROB/RUBs on Indian Railway - DKAE-KAN HBC Chord line" in the Hooghly District in the State of West Bengal.

Name of District- Hooghly

Sl. No.	Level Crossing Gate	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
					Area in Acres	Area in Hectare	
1	NO. 34/C/E AT IR KM 38/1-3 BETWEEN MADHUSU DANPUR & CHANDAN PUR STN.	HARIPAL	DANK-109 (L.R.)	1044	0.125	0.0506	Part
				879	0.080	0.0324	Part
				880	0.215	0.0870	Part
				884	0.095	0.0384	Part
				885	0.085	0.0344	Part
				883	0.145	0.0587	Part
				882	0.005	0.0020	Part
				886/1191	0.095	0.0384	Part
				887	0.025	0.0101	Part
				888	0.110	0.0445	Part
				889	0.005	0.0020	Part
				890	0.165	0.0668	Part
				866	0.200	0.0809	Part
				878	0.005	0.0020	Part
				877	0.245	0.0992	Part
				874	0.010	0.0040	Part
				875	0.130	0.0526	Part
				876	0.005	0.0020	Part
				1052	0.045	0.0182	Part
				1206	0.035	0.0142	Part
				1207	0.030	0.0121	Part
				1090	0.090	0.0364	Part
				1088	0.295	0.1194	Part
				1087	0.025	0.0101	Part
				1089	0.085	0.0344	Part
				1080	0.310	0.1255	Part
				1078	0.310	0.1255	Part
				1077	0.035	0.0142	Part
				1079	0.085	0.0344	Part
				1076	0.030	0.0121	Part
				1074	0.320	0.1295	Part
				1201	0.045	0.0182	Part
				1200	0.050	0.0202	Part
2	NO-31C/T AT IR KM 35/17-19 BETWEEN KAMARKU NDU & MADHUSU DANPUR STN.	SINGUR	KHAGR AGACHI -04 (L.R.)	9	0.060	0.0243	Part
				10	0.005	0.0020	Part
				11	0.020	0.0081	Part
				12	0.045	0.0182	Part
				13	0.070	0.0283	Full
				14	0.090	0.0364	Part
				15	0.055	0.0223	Part
				64	0.025	0.0101	Part
				63	0.115	0.0465	Part
				62	0.205	0.0830	Part
				105	0.150	0.0607	Part
				106	0.005	0.0020	Part
				104	0.045	0.0182	Part
				103	0.025	0.0101	Part
				102	0.060	0.0243	Part
				101	0.055	0.0223	Part

Sl. No.	Level Crossing Gate	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
					Area in Acres	Area in Hectare	
3				100	0.015	0.0061	Part
				101/1066	0.055	0.0223	Part
				101/1067	0.045	0.0182	Part
				99	0.205	0.0830	Part
				87	0.005	0.0020	Part
				89	0.025	0.0101	Part
				98	0.045	0.0182	Part
				93	0.085	0.0344	Part
				98/1065	0.030	0.0121	Part
				94	0.085	0.0344	Part
				72	0.040	0.0162	Part
				81	0.040	0.0162	Part
			MADHU SUDAN PUR-03 (L.R.)	1542	0.200	0.0809	Part
				1543	0.040	0.0162	Part
				1544	0.055	0.0223	Part
				1545	0.055	0.0223	Part
				1546	0.080	0.0324	Part
				1547	0.010	0.0040	Part
4		HARIPAL	KINKAR BATI-116 (L.R.)	11/869	0.015	0.0061	Part
				66	0.275	0.1113	Part
				67	0.180	0.0728	Part
				68	0.015	0.0061	Part
				69	0.165	0.0668	Part
				70	0.135	0.0546	Part
				87	0.095	0.0384	Part
				79/821	0.030	0.0121	Part
				80	0.365	0.1477	Part
				81	0.140	0.0567	Part
				85	0.025	0.0101	Part
				82	0.035	0.0142	Part
				165	0.045	0.0182	Part

[F. No. W(3)420/1/DFC/ VOL.III]

VIKRAM GUPTA, Principal Chief Engineer